डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्रमांक भोपाल--505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी 1985--माघ 19, शके 1906

विषय-सूची

भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं (4) राज्य शासन के संकल्प (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं (7) लोक भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.--(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक

(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.

(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 1985

क्र. ई. 1-13-85-एक-5.--(1) नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए, आय. ए. एस., अधिकारियों, जो वर्तमान में उनके सामने खाना (3) में दर्शाए पद पर कार्यरत हैं, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न है सियत से क्रमशः उनके नाम के सामने खाना (4) में उल्लिखित पदों पर नियुक्त किया जाता है:--

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पद (3)	नया पद जिस पर नियुक्त किए गए (4)
1	श्री सुब्रोतो बनर्जी	कलेक्टर, जिला सागर	विशेष सचिव, मध्यप्रदेश प्रशासन, कृषि एवं सहकारिता विभाग.
2	श्री डी. आर. भगत	संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल.	कलेक्टर, जिला झाबुआ.
3	श्री के. के. वर्मा	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं सिविल पूर्ति विभाग.	बन्दोबस्त अधिकारी, जबलपुर.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--1985

सत्यापित

संयुक्त नियंत्रक
एवं प्रभारी
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल

(1)	(2)	(3)	(4)
4	श्री जे. के. शर्मा	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग.	कलेक्टर, जिला रतलाम.
5	श्री प्रशांत मेहता	कलेक्टर, जिला मुरैना	कलेक्टर, जिला सागर.
6	श्री अजय आचार्य	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सामान्य प्रशासन विभाग.	कलेक्टर, जिला सरगुजा
7	श्री सत्य प्रकाश	कलेक्टर, जिला टीकमगढ़	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं सिविल पूर्ति विभाग.
8	श्री एच. के. मीणा	कलेक्टर, जिला झाबुआ	कलेक्टर, जिला टीकमगढ़.
9	श्री अतीन्द्र सेन	कलेक्टर, जिला रतलाम	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.
10	श्री एस. एन. तिवारी	अपर कलेक्टर, सागर	कलेक्टर, जिला दमोह.

(2) श्री डी. सी. सिंह, आय. ए. एस., कलेक्टर, जिला सरगुजा की सेवाएं आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, को अपर आयुक्त रायपुर सर्वांगीण विकास प्राधिकरण, जशपुरनगर, जिला रायगढ़ के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती हैं.

(3) श्री एन. के. वैद्य, आय. ए. एस., कलेक्टर, जिला दमोह की सेवाएं राजस्व विभाग को बंदोबस्त अधिकारी, सागर के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.

(4) श्री राजन एस. कटोच, आय. ए. एस. परियोजना प्रशासक, तवा अयाकट विकास प्राधिकरण, होशंगाबाद की सेवाएं अयाकट विभाग से वापस लेते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मुरैना नियुक्त किया जाता है.

(5) श्री ए. एन. अस्थाना, आय. ए. एस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश का कार्य भी अतिरिक्त रूप से संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है.

(6) इस विभाग के आदेश क्र. ई-1-95-84-एक-5, दिनांक 18 सितम्बर 1984 के पद-1 की तालिका के सरल क्रमांक 5 एवं 6, जिसके द्वारा क्रमशः सर्वश्री जी. पी. तिवारी, आय. ए. एस., अपर कलेक्टर, कोरबा, को बंदोबस्त अधिकारी, जबलपुर तथा एस. के. ठाकुर, आय. ए. एस., बन्दोबस्त अधिकारी, सरगुजा को अपर कलेक्टर, कोरबा, नियुक्त किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रह्मस्वरूप, मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, रायपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 1984

क्र. 5403-क.-भू.-अर्जन-118अ-82-83-84.---चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:---

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :---

(क) जिला---रायपुर.

(ख) तहसील---बिन्द्रानवागढ़.

(ग) ग्राम---देवनाबासा.

(घ) क्षेत्रफल---2.182 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा
(1)	(2)
	(हेक्टर में)
209	0.081
210, 212	0.146
211	0.008
213	0.081
215	0.081
218	0.098
219/62, 300/1	0.283
301	0.413
302	0.093
305	0.036

सत्यापित (T.C.)

आदिमजाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 1984

क्र. एफ.8-5-पच्चीस-4-84.---भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं 16(4) में निहित निर्देशों की पूर्ति हेतु राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नांकित अनुसूची में दी गई जातियों के नागरिकों के वर्ग को सामाजिक तथा शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग घोषित करता है:---

अनुसूची

क्रमांक (1)	जाति/ उपजाति/ वर्ग समूह (2)
1	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव, यादव, बरगाही, बरगाह, ठेठवार राउत, गोवारी (ग्वारी), गोवरा, ग्वारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत), महकुल, गोप, गवाली लिंगायत.
2	असारा, असाड़ा.
3	बैरागी (वैष्णव),
4	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा, घुरिया, लभाना लबाना, लामने.
5	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, बारई, बरई (चौरसिया).
6	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा).
7	बारी.
8	बसुदेव, बसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया, कापड़ी, गोंधली, धारवार.
9	भड़भूजा, भुंजवा, भुर्जी.
10	भाट, चारन, मुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधो, जसोंधी, मरुसोनिया.
11	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मन्धाव.
12	ढीमर, भोई, कहार, धीवर, मल्लाह, नावड़ा, तुरहा केवट, (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम), कीर (भोपाल, रायसेन, सीहोर, जिलों को छोड़कर), ब्रितिया, वृतिया, सिंगरहा, जालारी (जालारजलु बस्तर जिले में), सोंधिया, मांझी.
13	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार.
14	भुतिया, भुतिया.
15	भोपा, मानभाव.
16	भटियारा.
17	चुनकर, चुनगर, कुलबंधिया, राजगिर.
18	चितारी.
19	दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, सावी (नामदेव).
20	धोबी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर), बठठी, बरेठा, रजक.
21	मीना, (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा (विदिशा जिले की सिरोंज तहसील को छोड़कर).
22	किरार, किराड़, धाकड़.
23	गड़रिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाडरी, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गडरिया (पाल बघेले).
24	कडेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोड़ार.
25	कोष्टा, कोष्टी (देवांगन), कोस्टा, साला, पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी कोश्काटी (लिंगायत), गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, गरवाल, डुकर, कोल्हाटी.
26	धोली/ डफाली/ डफली, ढोली, दमामी, गुरव.
27	गुसाई, गोस्वामी.
28	गूजर (गुर्जर).
29	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, ढुंगा, लोहार, लोहा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा).
30	गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ, हरिदास.
31	घोषी.
32	सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी, स्वर्णकार, अवधिया, ओधिया, सोनी (स्वर्णकार).
33	(अ) काछी (कुशवाह शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर. (ब) माली (सैनी) मरार.
34	जोशी (भड्डरी), डकोचा, डकोता.
35	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर.
36	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्रटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया.
37	खातिया, खाटिया, खाती.
38	कुम्हार (प्रजापति), कुंभार (छतरपुर, दतिया, पन्ना टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल जिलों को छोड़कर).
39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, कुर्मीवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, कुंभी, गवेल (गमैल), सिरवी.
40	कमरिया.
41	कौरव, कांवरे.
42	कलार (जायसवाल), कलाल, डडसेना.
43	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा.
44	लोनिया, लुनिया, ओड़, ओड़े, ओड़िया, नोनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा.
45	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास), म्हाली, नाव्ही, सरेटे
46	नायता, नायड़ा.
47	पनका / पनिका (छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल जिलों को छोड़कर).
48	पटका, पटवी, पटवा.

संयुक्त नियंत्रक
एवं प्रभारी
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल

(1)	(2)
49	लोधी, लोधा, लोध्र.
50	सिकलीगर.
51	तेली (ठाठ, साहू, राठौर).
52	तुरहा, तिरवाली, बड्डर, मीधी.
53	तबायफ, किसबी, कसबी.
54	बोवरिया.
55	रोतिया, रौतिया.
56	मानकर, नहाल.
57	कोटवार, कोटवाल (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों को छोड़कर).
58	खैरुवा.
59	लोढ़ा (तंवर).
60	मोवार.
61	रजवार.
62	अधरिया.
63	तिऊर, तुरी.
64	भारुड़.
65	सुत, सारथी, सईस/सईस.
66	तेलंगा, तिलगा.
67	राघवी.
68	रजभर.
69	खारोल.
70	सरगरा.
71	गोलान, गवलान, गौलान.
72	रज्जड़, रज्झड़.
73	जादम
74	दांगी.
75	गयार/परधनियां.
76	कुड़मी.
77	मेर.
78	बया महरा/कोसल, बया.
79	बुनकर.

(1)	(2)
80	सिक्ख हरिजन.
81	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म अथवा बौद्ध धर्म (नव बौद्ध) स्वीकार कर लिया है.

मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह

82
(1) रंगरेज.
(2) भिश्ती.
(3) छीपा.
(4) हेला.
(5) भटियारा.
(6) धोबी.
(7) मेवाती.
(8) पिंजारा, नद्दाफ, फकीर, बेहना, धुनिया, धुनकर
(9) कुंजड़ा, राइन.
(10) मनिहार.
(11) कसाई, कस्साब.
(12) मिरासी.
(13) मिरधा.
(14) बढ़ई (कारपेन्टर).
(15) हज्जाम (बारबर).
(16) हम्माल.
(17) जुलाहा, मोमिन.
(18) लुहार, नागौरी.
(19) तड़वी.
(20) बंजारा.
(21) मोर्चा.
(22) तेली, नायता, पिंडारी (पिंडारा), कांकर.
(23) पेमदी.
(24) कलईगर.
(25) नालबन्द.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. मेहरा, सचिव.

सत्यापित (T.C.)
25/7
संयुक्त नियंत्रक
एवं प्रभारी
भारतीय केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205] भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 अप्रैल 1997—चैत्र 15, शके 1919

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1997

क्र. एफ. 23-4-97-चौवन-1.—मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 8 फरवरी 1985 को प्रकाशित हुई है, द्वारा जारी सूची में मध्यप्रदेश की जातियों के नागरिकों के वर्ग को सामाजिक तथा शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है. इस अधिसूचना में केवल जाति/उपजाति/वर्ग समूह का उल्लेख है. अपात्र व्यक्ति इससे लाभान्वित न हो इसलिए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि महाजन आयोग के अंतिम प्रतिवेदन के अध्याय 13 में जाति/उपजाति/वर्ग समूह के लोगों के परम्परागत व्यवसाय तथा आवश्यकतानुसार कैफियत का जहां-जहां उल्लेख है, उसके अनुसार अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी की गई पिछड़ा वर्ग की जातियों की अनुसूची के कालम (1) एवं (2) के पश्चात् कालम (3) एवं (4) में क्रमशः परम्परागत व्यवसाय एवं कैफियत निम्नानुसार जोड़ा जाए.

2. मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 12-1-पच्चीस-4-94, दिनांक 30 जुलाई 1994 द्वारा अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी की गई पिछड़ा वर्ग की जातियों की अनुसूची के सरल क्रमांक 39 पर अंकित कुलमी, कुरमार, कुन्बी, कुर्मी, पाटीदार, कूर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, कुंभी, गवेल (गमैल), सिरवी में पाटीदार के आगे कोष्ठक में कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी को सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है.

मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संशोधन आदेश क्रमांक एफ. 8-19-पच्चीस-4, दिनांक 30 अगस्त 1995 द्वारा अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी की गई अनुसूची के सरल क्रमांक 09 पर पिछड़ा वर्ग जाति (1) धुरी या धूरी, (2) क्रमांक 12 पर कहरा, (3) क्रमांक 79 पर पिंजारा (हिन्दू), (4) क्रमांक 82 पर आंजना, (5) क्रमांक 83 पर धोरिया, (6) क्रमांक 84 पर गेहलोत मेवाड़ा, (7) क्रमांक 85 पर रेवारी, (8) क्रमांक 86 पर रूआला/रुहेला, (9) क्रमांक 87 (26) पर शीशगर जाति को सम्मिलित किया गया है.

उपरोक्त सम्मिलित की गई जातियों को यथावत वर्तमान सूची में सम्मिलित किया गया है. इन जातियों के संबंध में परम्परागत व्यवसाय एवं आवश्यकतानुसार कैफियत पृथक् से जारी किया जाएगा.

3. मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 23-76-पच्चीस-4 (5)-88, दिनांक 12 दिसम्बर 1988 द्वारा अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा घोषित अनुसूची के क्रमांक 80 पर उल्लेखित सिक्ख हरिजन शब्द को निरसित किया गया है.

आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 21-6-पच्चीस-5-92, दिनांक 29 अगस्त 199... अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी अनुसूची के सरल क्रमांक 12 पर अंकित जातियां ढीमर, कहार, धीवर आदि के साथ सम्मिलित मांझी को इस सूची से विलोपित किया गया है.

आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संशोधन आदेश क्रमांक एफ. 8-19-95-पच्चीस-4, दिनांक 30 अगस्त 1995 द्वारा अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी की गई अनुसूची के सरल क्रमांक 52 पर अंकित मिर्धा तथा सरल क्रमांक 79 पर अंकित बुनकर को विलोपित किया गया है.

उपरोक्त विलोपित जातियों को वर्तमान सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है.

4. आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संशोधन आदेश क्रमांक 8-19-95-पच्चीस-4, दिनांक 30 अगस्त 1995 द्वारा अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी सूची के सरल क्रमांक 21 पर मीणा समूह जातियों के सम्मुख दी गई टीप "सिरोंज तहसील को छोड़कर" के स्थान पर "सिरोज एवं लटेरी तहसील छोड़कर" स्थापित किया गया है.

संशोधन आदेश क्रमांक 8-19-95-पच्चीस-4, दिनांक 30 अगस्त 1995 द्वारा अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी सूची के सरल क्रमांक 82 उप प्रविष्टि 17 पर अंकित शब्द "जुलाहा मोमिन" को विलोपित कर उसके स्थान पर "मोमिन जुलाहा" (वे जुलाहे जो मोमिन हैं) को स्थापित किया गया है.

उपरोक्त संशोधन को वर्तमान सूची में सम्मिलित किया गया है.

5. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. 53-57-चौवन-1-96, दिनांक 2 जुलाई 1996 द्वारा अधिसूचना क्र. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी की गई सूची के सरल क्रमांक 62 पर अंकित "अधरिया" के स्थान पर "अघरिया" को स्थापित किया गया है.

उपरोक्त संशोधन को वर्तमान सूची में सम्मिलित किया गया है.

सूची

क्रमांक (1)	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह (2)	परम्परागत व्यवसाय (3)	कैफियत (4)
1	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाहों, बरगाह, ठेठवार, राउत गोवारी, (ग्वारी) गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत) महकुल, गोप ग्वाली, लिंगायत.	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति.	"यादव", अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है. अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने को यादव कहती हैं व लिखती हैं. यादव राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं.
2	असारा, असाड़ा	कृषि कार्य	—
3	बैरागी (वैष्णव)	धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति	वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है. ब्राह्मण जाति के बैरागी शामिल नहीं किये गये हैं.
4	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा, धरिया, लभाना, लबाना लामने.	घुम्मकड़ बैलों को हांककर व्यवसाय करने वाली जाति.	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया है. नायक ब्राह्मण शामिल नहीं हैं.
5	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, बारई, बरई, (चौरसिया).	पान उत्पादक व विक्रेता.	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं.
6	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा).	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना, लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना.	विश्वकर्मा को बढ़ई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)
7	बारी	पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति	—
8	बसुदेव, बसुदेवा, वासुदेव वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया कापड़ी, गोंधली, धारवार.	बिरुदावली गाना एवं बैल भैंसों का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति.	इस क्रमांक में वसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया है.
9	भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, भुरी, या धूरी	चना, लाई, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना.	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबद्ध करने वाली जाति शामिल नहीं है.
10	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया.	राजा के सम्मान में प्रशंसात्मक कविता-पाठ व बिरुदावली का गायन करना.	—
11	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मनधाव.	कपड़ों में छपाई व रंगाई	—
12	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह/ नावड़ा/तुरहा, केवट, (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम), कीर (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) ब्रितिया (वृत्तिया) सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले में) सोंधिया.	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्आ उगाना, पानी भरना, नाव चलाना.	बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियां हैं. इसी रूप में सम्मिलित किया गया है. कीर जाति भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों में अनुसूचित जनजाति में शामिल है. जालारी (जालारनलु) बस्तर जिले में पाई जाती है.
13	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार	कृषि एवं कृषि मजदूरी.	इसमें पंवार/पवार राजपूत शामिल नहीं हैं.
14	भुर्तिया, भुतिया	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय	—
15	भोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राह्मण है. सूची में शामिल किया गया है
16	भटियारा	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ तैयार करना है.	—
17	चुनकर, चुनगर, कुलबंधया, राजगीर	चूना, गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना.	—
18	चितारी	दीवालों पर चित्रकारी करना	—
19	दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी, (नामदेव)	कपड़ा सिलाई करना	—
20	धोबी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) बट्ठी, बरेठा, रजक.	कपड़ा साफ करना	धोबी, भोपाल, रायसेन व सीहोर जिले में अनुसूचित जाति में शामिल है.
21	मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा (विदिशा जिले की सिरोंज एवं लटेरी तहसील को छोड़कर)	कृषक	रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राह्मण नहीं है. मीणा/मीना सिरोंज तहसील में अनुसूचित जनजाति में घोषित है.

(1)	(2)	(3)	(4)
22	किरार, किराड़, धाकड़	कृषक	राजपूत-इसमें शामिल नहीं हैं.
23	गड़रिया, धनगर, कुरमार हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल बघेले).	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उपजातियां अपने को पाल व बघेले भी कहते हैं. पाल व बघेले गड़रिया जाति की उपजाति के रूप में शामिल किये गये हैं. बघेल राजपूत पिछड़ी जाति में शामिल नहीं हैं.
24	कड़ेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोडार	कपास की रुई धुनकरने का कार्य करना. कड़ेरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते हैं.	—
25	कोष्टा, कोष्टी (देवांगन) कोष्टा, माला, पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोशकाटी (लिंगायत) गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, गरवार, डुकर, कोल्हाटी.	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते हैं.
26	धोली/डफाली/डफली/ढोली, दमामी, गुरव	गांव पुरोहित का कार्य शिवमंदिरों में पूजा व उपजातियां ढोल बजाने का कार्य करती हैं.	इस समूह में ब्राह्मण समूह शामिल नहीं है.
27	गुसाई, गोस्वामी	धार्मिक भिक्षावृत्ति, मंदिरों में महंती	ब्राह्मण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं हैं.
28	गूजर (गुर्जर)	कृषक, पशुपालन	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले सम्मिलित नहीं हैं.
29	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा).	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना	विश्वकर्मा में ब्राह्मण वर्ग सम्मिलित नहीं हैं.
30	गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ, हरिदास	गारपगारी ओलावृष्टि की रोक करके फसल की रक्षा का कार्य करते हैं. जोगी व इस समूह की अन्य जातियां धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते हैं.	''जोगी'' धार्मिक भिक्षावृत्ति करते हैं लेकिन इस समूह में जो ब्राह्मण हैं, वे शामिल नहीं हैं.
31	घोषी	भैंस पालक व पशपालक	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं हैं.
32	सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी, (स्वर्णकार) अवधिया औधिया, सोनी (स्वर्णकार).	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उगढ़ने व बनाने का कार्य करना.	इस समूह में सोना-चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नहीं हैं.
33	(अ) काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर.	शाक-सब्जी उत्पादन व साग-सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी.	''कुशवाहा'' काछी कोयरी व कोइरी जाति की उपजाति है. काछी जाति की शाक्य व मौर्य भी उपजातियां हैं.
	(ब) माली (सैनी), मरार	—	कुशवाह राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं.

(1)	(2)	(3)	(4)
34	जोशी (भड्डरी) डकोचा, डकोता	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना.	शनिदेव के नाम पर भिक्षावृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोशी जाति के लोग करते हैं. जोशी ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं हैं.
35	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करना कांच की चूड़िया बेचना.	—
36	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया.	तांबा, पीतल व कांसा के बर्तन बनाना	—
37	खातिया, खाटिया, खाती	कृषक	—
38	कुम्हार (प्रजापति), कुंभार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी व शहडोल जिलों को छोड़कर).	मिट्टी के बर्तन बनाना	कुम्हार जाति छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी व शहडोल जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल है.
39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू, कुंभी गवैल (गमैल) सिरवी.	कृषक, कृषि मजदूरी	—
40	कमरिया	पशुपालक व दुग्ध विक्रेता	—
41	कौरव, कांवरे	कृषक	—
42	कलार (जायसवाल) कलाल, डडसेना	मदिरा (शराब) बेचना	—
43	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक	—
44	लोनिया, लुनिया, औड़, ओड़े ओड़िया, नौनिया, मुरहा, मुरहा, मुड़हा, मुड़ाहा.	नमक बनाना व साफ करना, मिट्टी खोदना.	—
45	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास), म्हाली, नाव्ही, उसरेटे.	बाल बनाना, विवाह शादी में संस्कार सम्पन्न कराना.	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे नाई की उपजातियों के रूप में सम्मिलित की गई हैं.
46	नायटा, नायड़ा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी	—
47	पनका, पनिका (छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल जिलों को छोड़कर).	मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना, बुनकर.	"पनिका" छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी व शहडोल जिले में जनजाति में शामिल हैं.
48	पटका, पटको, पटवा	सिल्क के धागे कपड़े व सूत बनाना	जैन धर्म के लोगों को छोड़कर
49	लोधी, लोधा, लोध	कृषक	—

(1)	(2)	(3)	(4)
50	सिकलीगर	शस्त्र सफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना.	—
51	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेल पेरना व बेचने का व्यवसाय करना	तेली जाति के लोग अपने को "साहू" व "राठौर" कहते हैं. राठौर को तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है. राठौर राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं.
52	तुरहा, तिरवाली, बड्डर	मिट्टी खोदने का काम करना, पत्थर तरासना.	—
53	तवायफ, किसडी, कसडी	नाच-गाकर मनोरंजन करने वाले	—
54	बोवरिया	मजदूरी	अनुसूचित जनजाति "कोरकू" की उपजाति है, बैतूल जिले की भंवरगढ़ क्षेत्र में निवास करती है.
55	रोतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती हैं. पूर्व में सैनिक वृत्ति करती थीं.	सरगुजा तथा जसपुर क्षेत्र में पाई जाती हैं.
56	मानकर, नहाल	जंगली जनजाति मजदूरी करना	मानकर की उपजाति "निहाल" अनुसूचित जनजाति में शामिल है.
57	कोटवार, कोटवाल, (भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों को छोड़कर)	ग्राम चौकीदारी	"कोटवाल" जाति को भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है.
58	खैरुवा	कत्था बनाना	"खैरुवा", खैरवार की उपजाति है. "खैरवार" अनुसूचित जनजाति में शामिल है.
59	लोढ़ा (तंवर)	कृषक, मजदूरी, लकड़ी बेचकर जीवन-यापन करना.	—
60	मोवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी	एक अघोषित आदिम जनजाति
61	रजवार	कृषक एवं कृषि मजदूर	—
62	अघरिया	कृषक, कृषि मजदूरी	यह जाति अगरिया जनजाति से भिन्न जाति है.
63	तिऊर, तूरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस एवं बेंत का सामान बनाने का कार्य करना.	—
64	भारूड़	पशुओं की पीठ पर लदान द्वारा माल ढोना.	मुगलकाल में फौज की रसद ढोने का कार्य भी करते थे.

(1)	(2)	(3)	(4)
65	सुत सारथी-सईस/सहीस	घोड़ों की देखरेख, घोड़ागाड़ी हांकना	—
66	तेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक	जंगली आदिम जाति जो तेलुगू भाषी है. विशेषकर बस्तर जिले में पाई जाती है.
67	राबवी	कृषि कार्य करना	—
68	रजभर	कृषि मजदूरी	—
69	खारोल	कृषि मजदूर	—
70	सरगरा	ढोल बजाना	—
71	गोलान, गवलान, गौलान	गाय भैंस पालना और दूध का व्यवसाय करना.	—
72	रजाड़ रजझड़	कृषि मजदूरी	—
73	जादम	कृषि मजदूरी	—
74	दांगी	कृषक	"दांगी" राजपूतों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है
75	गयार/परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले.	रायगढ़ जिले में अधिकतर पाये जाते हैं.
76	कुड़मी	कृषक	अधिकतर बैतूल जिले में निवास करते हैं.
77	मेर	कृषि मजदूर	गुना जिले में आबाद हैं.
78.	बया महरा/कौशल, बया	बुनकर	अधिकांशतः दुर्ग जिले में निवास करते हैं.
79	पिंजारा (हिन्दू)	—	—
80	विलोपित	—	—
81	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म अथवा बौद्ध धर्म (नव बौद्ध) स्वीकार कर लिया है.	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे हैं	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई व बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, उनको आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया गया है.
82	आंजना	—	—
83	धोरिया	—	—
84	गेहलोत मेवाड़ा	—	—
85	रेवारी	—	—
86	रूआला/रूहेला	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)
		मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह	
87	(1) रंगरेज	कपड़ों की रंगाई	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(2) भिश्ती	पानी भरने का काम	हिन्दुओं की कहार जाति के समान धंधा
	(3) छीपा	कपड़ों में छपाई करना	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(4) हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दू मेहतर जाति की तरह कार्य
	(5) भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	—
	(6) धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवसाय
	(7) मेवाती	कृषि, पशुपालन कार्य के समान कार्य	हिन्दू मेवाती जाति के समान कार्य
	(8) पिंजारा, नद्दाफ, फकीर, बेहना, धुनिया, धुनकर.	रुई धुनाई का कार्य	हिन्दुओं की कड़ेरा जाति के समान
	(9) कुंजड़ा राईन	साग-सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान साग-सब्जी का कार्य.
	(10) मनिहार	कांच की चूड़िया व बिसात खाने का सामान बेचना.	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान धंधा
	(11) कसाई, कस्साव	पशुओं का वध एवं उनका मांस/गोश्त बेचने का कार्य	हिन्दू खटिक जाति के समान धंधा
	(12) मिरासी	विरुदावली, यशोगान का वर्णन करना	हिन्दू भाट जाति की तरह पेशा
	(13) मिरधा	चौकीदारी/रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय
	(14) बढ़ई (कारपेन्टर)	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम.	हिन्दू बढ़ई जाति के समान पेशा.
	(15) हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य	हिन्दुओं की नाई जाति के समान पेशा करने वाले
	(16) हम्माल	वजन ढोना व पल्लेदारी करना	—
	(17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं).	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दू कोस्टी/कोष्टा जाति के समान पेशा
	(18) लुहार, नागौरी	लोहे के औजार व अन्य सामान बनाना	हिन्दुओं के लुहार/लोहार जाति की तरह पेशा करने वाले.

(1)	(2)	(3)	(4)
(19)	तड़वी	कृषि कार्य	—
(20)	बंजारा	घुमक्कड़ जाति/समूह बैल गाड़ी से सामान ढोना तथा पशुओं को बेचने का व्यवसाय.	हिन्दुओं में बंजारा जाति के समान व्यवसाय
(21)	मोची	चमड़े के जूते चप्पल आदि बनाना	हिन्दुओं में चमार जाति के समान व्यवसाय करने वाले
(22)	तेली, नायता, पिंडारी (पिंडारा) कांकर.	कोल्हू से पेरकर तेल निकालना व बेचना.	हिन्दू तेली जाति के समान पेशा करने वाले
(23)	पेमदी	पेड़ पौधों की कलम लगाने का धंधा	—
(24)	कलईगर	बर्तनों में अन्य सामान में कलई करना	—
(25)	नालबन्द	बैलों व घोड़ों के पैरों में नाल बांधने का काम.	—
(26)	शीशगर	—	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमर सिंह, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1997.